नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (भाषा अनुदेशक) (अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में भाषा अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (भाषा अनुदेशक) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का या समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
भाषा अनुदेशक।	02* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह-ख, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) विद्यमान है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक अनुबंध सहित द्वारा।	**<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)</u>:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक या स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान / अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना, या (ii) वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में स्तर-5 में नियुक्ति के बाद छह साल की नियमित सेवा के साथ, और (ख) निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखने वाले: - **(1) आवश्यक योग्यता:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से तेलुगु या असमिया या उर्दू या कन्नड़ या बंगाली या मराठी या मणिपुरी या नागामी या उड़िया या तमिल या गुजराती या पंजाबी या नेपाली या मलयालम या अंग्रेजी में स्नातक डिग्री। **(2) अनुभव:** ऊपर निर्दिष्ट भाषाओं में शिक्षण का एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

		(3) वांछनीय योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से शिक्षा में स्नातक की डिग्री। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) साधारण या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अल्पावधि संविदाओं सहित अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/45/2018-पीटी]

रमण कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2023

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the SardarVallabhbhai Patel National Police Academy (Language Instructors) (Non-Gazetted, Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Language Instructors in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (l) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Language instructors) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix - The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.-The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters related to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or ;

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds

for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Language Instructors.	02* (2023) * Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non - Ministerial.	Level -6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix.

Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	By deputation including short term contract.	**Deputation (Including short term contract):** Officers of Central Government or State Government or Union Territory or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organisation or recognised University/Institution/Research Institute: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with six years regular service rendered after appointment in Level-5 in the pay matrix or equivalent, and (b) Possessing the following qualification and experience:-	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		(1) Essential Qualification: (i) Bachelor Degree in Telugu or Assamese or Urdu or Kannada or Bengali or Marathi or Manipuri or Nagamese or Oriya or Tamil or Guajarati or Punjabi or Nepali or Malayalam or English from a recognised university/institution. **(2) Experience:** one year experience of teaching in the languages specified above. **(3) Desirable Qualification:** Degree of Bachelor of Education from a recognised university/institution. **Note 1:** The period of deputation (including short term contracts) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:-** The maximum age - limit for appointment by deputationincluding short term contracts shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of application.		

[F. No. 23011/45/2018-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (भेषजज्ञ) अराजपत्रित पद पर, भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।